भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के 1930 के वन सत्याग्रह का योगदान

*डॉ.ज्योति धारकर

सारांश

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1930 का वन सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आयोजित किया गया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि ब्रिटिश सरकार के कठोर वन कानूनों से जुड़ी थी, जिन्होंने ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को जंगलों के उपयोग से वंचित कर दिया था। अंग्रेजी शासन ने वनों पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए स्थानीय लोगों के लिए लकड़ी काटने, पशुओं को चराने और वन उत्पादों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा, जिससे उनका असंतोष बढ़ा। जब गांधीजी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो छत्तीसगढ़ में भी वन सत्याग्रह के रूप में इसका प्रभाव दिखाई दिया। इस आंदोलन में नरसिंह नारायण सिंह, ठक्कर बापा और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने नेतृत्व किया। सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश सरकार के कानूनों की अवहेलना करते हुए जंगलों में प्रवेश किया, लकड़ी काटी और वन उत्पादों का उपयोग किया। इस अहिंसक विरोध को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाए और बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इस दमन के बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों का संघर्ष जारी रहा, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को और बल मिला। छत्तीसगढ़ के इस वन सत्याग्रह ने न केवल ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में स्वतंत्रता और अधिकारों की भावना को भी मजबूत किया। इस आंदोलन ने भविष्य में जनआंदोलनों के लिए प्रेरणा दी और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह, 1930 का वन सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के साहसिक अध्यायों में से एक बन गया।

प्रमुख शब्दावली : महात्मा गांधी, आदिवासी समुदायों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम |

परिचय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1930 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था अतः अपने लक्ष्य के पूर्ण करने के लिए कांग्रेस को एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी जिससे संपूर्ण देश जागृत होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन से जुड़ जाए महात्मा गांधी जी ने अपनी विलक्षण दृष्टि का परिचय देते हुए नमक कानून को भंग करने के साथ एक नए आंदोलन सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया 6 अप्रैल को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर एक मुट्ठी नमक उठाकर सरकार द्वारा बनाया जाए नमक कानून को तोड़ा उनके बाद संपूर्ण देश में लोगों ने सारे खारे पानी से सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया समूचा देश सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुद पड़ा था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसे कार्यक्रमों को सम्मिलित किया था जो सामान्य जनता की आर्थिक दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हो ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन शीर्घ ही मध्यप्रांत के कोने.कोने तक फैल गया समुद्र का खारा पानी लाकर उसे नमक बनाकर जगह. जगह नमक कानून को तोड़ा गया। 8 अप्रैल 1920 को जबलपुर सिहावा कटनी मंडल डिमांड तथा रायपुर में भी नमक बनाकर तथा उसे बेचकर नमक कानून के उल्लंघन किया गया। प्रदेश मे स्थान. स्थान में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी मंदिरों की दुकानों में पिकटिंग किया जा रहा था ब्रिटिश शासन भी आंदोलन को कुचलना के लिए पूरी तरह से कटिबंध दिख रहा था ।

* सहायक प्राध्यापक , शा. वि . या . ता . स्नात. महाविद्यालय , दुर्ग , छत्तीसगढ़

मध्यप्रदेश प्रांत से समुद्र का तट बहुत दूर था जिसके कारण प्रातः में नमक बनाना कठिन पर कार्य था अत यहां के नेताओं ने जनता से संलग्न अन्य समस्याओं को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के रूप में लेने का विचार करने लगे इसी विचार के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित वन अधिनियम को प्रांत की नेताओं ने अपना लक्ष्य बनाया। इस कानून के तहत शासन अधिकतर वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था ऐसे बनो की संपदा या वनों के अंदर पायी जाने वाली किसी भी वस्तु का उपयोग करने के लिए शासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे ये लोग जो वन क्षेत्र में निवास करते थे तथा जिनका जीवन बनो में नैसर्गिक रूप से उत्पादित वस्तुओं पर ही आधारित था उनका जीवन बहुत कष्टप्रद हो गया। साथ ही ऐसे लोग भी जो जंगल के आसपास निवास करते थे ये लोग भी पशुओं के चारे लकड़ी एव्र अन्य बहुत से अनिवार्य जीवन यापन की वस्तुओं के लिए वनों में उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर थे उन्हें भी इस अधिनियम से बहुत असंतोष था इस तरह जनजाति एवं ग्रामीण जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष उदय हो चुका था जंगल सत्याग्रह ने ऐसे लोगों के असंतोष को नेतृत्व दिया।

नमक कानून की तरह वन कानून भी देश की समान जनता के जीवन से जुड़ी हुई समस्या थी अतः प्रांत के शीर्ष के नेताओं ने जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल घनश्याम सिंह गुप्ता पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र प्रमुख थे इस समस्या को हल करने के लिए जंगल सत्याग्रह के रूपरेखा बनाई। चुकी यह कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितिसे अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। सबसे पहले प्रांतीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए जबलपुर में युद्ध समिति की बैठक हुई जिसमें जंगल कानून को उल्लंघन करने का निश्चय किया गया।

समूचा भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूरे जोश से कूद पड़ा था किंतु दूसरी ओर ब्रिटिश शासन ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर इस आंदोलन को कुचल देना चाहती थी पुलिस ने देश भर में गिरफ्तारी और पश्चिम अत्याचार से लोगों को भयभीत करना परम कर दिया आंदोलन कार्यों पर गोली गिरफ्तारी और पाक्षिक अत्याचार से लोगों को विविध करने शुरू कर दो गोली चलाना है पीकिंग करती हुई महिलाओं पर अत्याचार की घटना आम बात हो गई थी उसका कांग्रेस के तात्कालिक अध्यक्ष पंडित

सहा प्राध्यापक इतिहास शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग

जवाहरलाल नेहरू ने उसे समय भी गिरफ्तार कर लिया गया था जब महाकौशल कांग्रेस कमेटी के की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए रायपुर आने वाले थे 13अप्रैल 1930 को उन्हें इलाहाबाद के कुछ दूरी में स्थित नैनी रेल्वे स्टेशन के पास छिउकी में गिरफ्तार कर लिया गया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के गिरफ्तार होने के कारण उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा मध्य प्रांत के नेताओं को अनुमति प्रदान कर दी यहअनुमति प्राप्त करने में द्वारका प्रसाद मिश्र की भूमिका विशेष उल्लेखनीय की थी। कंग्रेसाध्यक्ष से नुमति प्राप्त करने के पश्चात अब आगे इस कार्यक्रम को कार्य रूप देने में कोई कठिनाई नहीं रह पाई थी। अतः अब मध्य प्रांत के कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा को नया रूप प्रदान करते हुए उसमें जंगल सत्याग्रह को और जोड़ दिया गया जुलाई 1930 से इस आंदोलन का प्रारंभ करने का निश्चय किया।

जंगल सत्याग्रह चलाने के लिए 20 मार्च को हिंदी प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक जबलपुर में आहूत की गई बैठक में आंदोलन के संचालन के लिए युद्ध परिषद का गठन किया गया इस युद्ध परिषद में सेठ पं. वेन्द दासए द्वारका प्रसाद मिश्र , पं. रवि शंकरए माखनलाल चतुर्वेदी के आर खांडेकर घनश्याम सिंह तथा बी आर पटेल रखे गए मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आरंभ करने के निर्णय से मध्य प्रांत की सरकार आश्चर्यचकित हो उठी क्योंकि यदि समस्त प्रांत में जिसका आधा क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है लोग वनविधनों को तोड़ने लगे तो परिस्थिति काबू से बाहर हो सकती थी। सरकार की यह संकट आगे चलकर सत्य साबित हुई। जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा अपनाने के बाद एक सरकारी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि अप्रैल में

प्रारंभ होने के पश्चात कांग्रेसी नेताओं से इसका गांवों और जनजातियों के बीच प्रचार किया या परिणाम स्वरूप स्थिति गंभीर हो गई ।

ब्रिटिश शासन के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलना के लिए कार्यवाही निरंतर तेज की जा रही थी किंतु प्रांत की जनता के उत्साह में कोई कमी नहीं आई युद्ध परिषद में जंगल हाथों में तभी कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल रहेगा। इस उद्देश्य से मध्य प्रांत के हिंदी क्षेत्र में इस आंदोलन के सर्वप्रथम बैतूल के सरकारी जंगल में करने का निर्णय लिया और यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करते हुए प्रथम सेनानियों के रूप में दुर्ग जिले के लोकप्रिय नेता घनश्याम सिंह गुप्ता को चुना गया था।

बैतूल के चिखलार का वन से जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया युद्ध समिति द्वारा निर्धारित तिथि को शासन द्वारा आरक्षित घोषित इस वन में सैकड़ों लोग एकत्र हुय इन लोगों ने अधिकांश वन क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण ही थे। जैसा कि युद्ध समिति ने प्रथम जंगल सत्याग्रही के रूप में भी घनश्याम सिंह गुप्ता को चुना गया था किंतु वे किसी कारण से इस समय बैतूल नहीं पहुंच पाए थे। अतः बैतूल के ही एक प्रमुख कांग्रेसी नेता बाबू दीपचंद गोदी इस आंदोलन का आरंभ चिखलार के आरक्षित जंगल में घास काट कर किया। इसके बाद यहां पर उपस्थित स्वयं सेवकों और स्थानीय जनता के ने घास काटकर शासन के वन अधिनियम थोड़ा। इस घटना के पश्चात घनश्याम सिंह गुप्ता भी बैतूल पहुंच गए थे उनके पहुंचने से बैतूल में और जोश का संचार हो गया बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय के और ग्रामीण लोग जंगल कानून के विरुद्ध संघर्ष में आगे लगे घनश्याम सिंह गुप्ता ने व्यक्तिगत संस्मरण में लिखा भी है कि इस आंदोलन में शहरी लोगो की अपेक्षा ग्रामीण वंज न जातियों ने विशेष पराक्रम प्रदर्शित किया।

यह आंदोलन शीघ्र ही संपूर्ण बैतूल में फैल गया और सशक्त नेतृत्व के कारण यह एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। बैतूल के अन्य जंगल बंजारी ढाल में सत्याग्रह हुआ यहां पर लगभग 500 गोड़ आदिवासी स्त्री-पुरुषों ने जंगल कानून का उल्लंघन करना शुरू किया तब पुलिस ने बड़ी निर्दयतापूर्वक गोली चलायी जिसके कारण सैकड़ो आदिवासी जख्मी हुये। इससे ज्यादा बड़ी घटना जंबाड़ा के जंगल में हुई जहां दो सत्याग्रही पुलिस की गोली से मारे गये। बैतूल में घनश्याम सिंह गुप्ता तथा दीपचंद गोढी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया और गिरफ्तार कर लिए गये। इस तरह इस आंदोलन का शेष प्रांत में तेजी से विस्तार होने लगा जैसा कि सरकार को पहले से ही अशंका थी की इस आंदोलन से प्रांत की व्यवस्था बेकाबू हो जाएगी सत्य साबित हो गई। नमक बनाने के लिए खारे जल की अनुपलब्धता के कारण यह आंदोलन मध्य प्रांत की ग्रामीण व आदिवासी जनता में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का नया प्रेरणा श्रोत बन गया। यह आंदोलन मध्य प्रांत के उत्तरी जंगली क्षेत्रों में फैला कटनी और सीहोर में पुलिस ने जंगल सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया और उसमें से बहु संख्यकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी प्रदेश की जनता ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने लोगों में भय पैदा करने के लिए सत्याग्रहियों को कोड़े मारने का दण्ड देने लगी। ताकि लोगों में दण्ड के भय से आंदोलन से दूर हट जाये।

बैतूल से लौट कर घनश्याम सिंह गुप्ता ने जबलपुर में 13 अगस्त 1930 टाउन हॉल एकत्रित जनता को संबोधित करते हुए भाषण दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रति पुलिस के रवैया की आलोचना की और कांग्रेस कार्यसमिति का यह संकल्प पढा जिसमें पुलिस से अनुरोध किया गया कि यह अपना कर्तव्य छोड़ दें और कांग्रेस के सदस्यों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी जो आदेश दे उसका पालन न करें। उन्होंने इस संकल्प की प्रत्तियां कुछ पुलिस अधिकारियों में वितरित की। घनश्याम सिंह गुप्ता का यह कार्य शासन के लिए चुनौती थी। इससे शासन घबरा गई कि अगर पुलिस के अंदर विद्रोह फैल गया तो ब्रिटिश शासन के लिए खतरा बन सकता है। अतः शासन के श्री गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। और उनका जबलपुर के मजिस्ट्रेट श्री पी ई एफ स्पीकरकी अदालत में चालान किया गया। उन पर फौजदारी मुकदमा 15.08.1930 को चला। जिसके अनुसार उन्हें 6 माह की कठोर सजा और 50 रूपये जरीवाना भी हुआ। जरीवाना न पटाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा हुई दिनांक 23 से 1931 को गुप्ता जी जेल से छूटे।

मध्य प्रांत के हिंदी क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र छत्तीसगढ़ यह क्षेत्र भी वनों से अच्छंादित था यहां की जनता को वन अधिनियम के प्रति भारी असंतोष था। कृषक और आदिवासी समुदाय ने पूर्व में हुये राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता दिखाकर

अपनी राजनीतिक जागरूकता एवं देशभक्ति का परिचय दे दिया था। 1857 में सोना खान के वीर नारायण सिंह द्वारा तथा बस्तर में 1876 तथा 1910 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर आदिवासी जनता ने अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट कर दिया था। वही कषको द्वारा कंडेल नहर सत्याग्रह कर 1920 में अंग्रेजी शासन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। राष्ट्र के कई बड़े नेताओं को समय.समय पर छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था जिनके संपर्क में आने से यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुका था। जंगल सत्याग्रह में अग्रण्य नेताओं में श्री घनश्याम सिंह गुप्ता के होने के कारण दुर्ग जिला जो वन बहुल क्षेत्र था इस आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह किया। दुर्ग जिले का बालोद तहसील घने जंगलों से गिरा क्षेत्र हुआ था यहां पर लोगों का जीवन जंगलों में उत्पादित वस्तुओं पर आदारित था नये वन कानून से उनके समक्ष जीवनयापन और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या आ गई थी। यहां पर जनता के असंतोष को नेतृत्व देने के लिए बालोद के एक प्रमुख वकील नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने 3 अगस्त 1930 को पास के ग्राम पोण्डों में आंदोलन प्रारंभ किया उन्होंने ग्राम के स्वयं सेवकों का एक जुलूस निकाला जिसमें सरकार के विरुद्ध नारे लगाए गए। इसके पश्चात श्री अग्रवाल द्वारा उपस्थित जन समूह से अनुरोध किया गया कि शासकीय वन में घास काट कर एवं उसे उठाकर जंगल कानून भंग करें , शासन ने उन्हें अगस्त 1930 में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर दो सौ रूपये का जुर्माना किया गया। बालोद तहसील के अन्य ग्रामों में भी इस आंदोलन का प्रचार हो गया विशेष रूप से जनजाति समुदाय के लोगों ने इस आंदोलन में आगे बढ़कर हिस्सा लिया दुर्ग जिले के तहसील बेमेतरा में दुर्ग के वकील श्री विश्वनाथ यादव तामस्कर के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ इसके कारण उन्हें 6 माह कारावास एवं 200 रूपये का दण्ड दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र भी इस आंदोलन के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था जगह.जगह जंगल कानून के विरुद्ध जनता को जागृत करने के लिए सभाओं का आयोजन किया जा रहा था।

श्री घनश्याम सिंह गुप्ता पूरे प्रांत में लोगों को जंगल सत्याग्रह के लिए जगाने में लगे थे औरउनके कर्मठ साथी दुर्ग में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। जंगल सत्याग्रह संबंधित भाषण देने और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाने के आरोप में दुर्ग के श्री राम प्रसाद देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वन अधिनियम के तहत 14 सितंबर 1930 को बंदी बनाकर दो प्रकरणों में 400 रूपये जुर्माने के साथ एक वर्ष की सजा दी गई दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष श्री रत्नाकर झा ने दुर्ग बालोद आदि क्षेत्रों में घूम.घूम कर इस सत्याग्रह का प्रचार किया और बहिष्कार की अपील की। परिणाम स्वरुप शासन ने अपने उनसे 26 सितंबर 1930 को भविष्य में शांति भंग न करने के लिय 500 की जमानत मांगी उन्होंने अदा करने से इनकार कर दिया इसके कारण उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा दी गयी। राष्ट्रभक्तों ने इस उगता से सरकार का विरोध किया की दुर्ग जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। अतः स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन ने 12 सितंबर 1930 को जिले में अश्रिावास निषेध अध्यादेश लागू कर दिया। 01 नंबर 1930 तक 19 मामले निर्णित किए गए।

रायपुर की तहसील धमतरी में जंगल सत्याग्रह का बड़ा उग्र प्रभाव पड़ा क्योंकि यह तहसील 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। धमतरी के समीप रुद्री नवागांव नामक ग्राम में एक अधिनियम का उल्लंघन करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यहां घना जंगल था। इस आंदोलन के संचालित करने के कार्य स्थानीय नेताओं ने किया। धमतरी के कर्मठ योद्धा नाथुल जगतपा ने अपने प्रमुख साथी गिरधारी लाल तिवारी , त्रिलोचन प्रसाद रामलाल अग्रवाल , मुकुंद राय ,मौन गंगाधर राव आदि के साथ मिलकर 1300 सत्याग्रहियों प्रशिक्षित किया था , वहां पर एक सत्याग्रह आश्रम भी खोला था। 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव के संरक्षित वन कानून को तोड़कर आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सत्याग्रह को चलाने के लिए नारायण राव , मेघावाले को डिक्टेटर नियुक्त किया गया। इस आंदोलन से स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों को बड़ा समूह स्वप्रेरणा से जुड़ गया था। इससे आंदोलन इतना उग्र हो गया की उपस्थिति पुलिस बल को गोली चलानी पड़ी जिससे मंटू नामक सत्याग्रही युवक मारा गया और बहुत से व्यक्ति घायल हो गये।

छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन निरंतर उग्ररूप लेने लगा रायपुर जिले के ही महासमुंद तहसील के तमेरा ग्राम के वन में श्री यतियतन लाल, और शंकर गनोद वाले के नेतृत्व में सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह का आरंभ हुआ 9 सितंबर 1930 को लगभग 5 हजार लोग धनुष वाण के साथ पुलिस बल को चुनौती देते हुए तमोरा ग्राम में जंगल की ओर निकले। जंगल की सीमा पर रेजर ने लोगों

को चेतावनी दी परंतु उसका सत्याग्रहियों पर कोई असर नहीं हुआ। अन्ततः पुलिस बल द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां सरकार द्वारा आंदोलन को तोड़ने के लिए न केवल दमन का प्रयोग किया बल्कि कुटेल कला को भी अपनाया। आंदोलन के प्रमुख सत्याग्रहि अद्धत गोस्वामी को आंदोलन को तोड़ने के लिए एक गांव की जमिंदारी रिश्वत के रूप में देना चाहा था। राष्ट्र प्रेम में पक्के हुए इस सत्याग्रही ने इस रिश्वत का तिरस्कार कर दिया और जोर.शोर से आंदोलन में कुद पड़े तब उन्हें 24 सितंबर 1930 को गिरफ्तार कर लिये। तमेरा ग्राम के आस पास धारा 144 लगाकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तमेरा वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ताकि जनता भयभीत हो जाये किंतु जनता भी सरकार के दमन के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। बल्कि दुगने जोश से दस हजार सत्यग्राही जंगल कानून को तोड़ने के लिये के तमोरा वन क्षेत्र में एकत्र हो गयी। सत्याग्रहियों के पहले जत्थे का नेतृत्व दयावती बाई नामक जुआ लड़की कर रही थी। इस लड़की ने जंगल में प्रवेश को रोकने वाले अनुविभागीय अधिकारी और दंडाधिकारी एस.पी दुबे को एक थप्पड़ मार दिया। दण्डाधिकारी श्री दुबे ने ना केवल उसे क्षमा कर दिया बल्कि उसके साहस की प्रशंसा की उनकी इस उदारता से जनता और पुलिस के मध्य होने वाली झड़प या गोलीबारी की स्थिति टल गई।

जंगल सत्याग्रह का प्रभाव मध्यप्रांत के सभी हिस्सों में पड़ा था प्रांत के हिंदी क्षेत्र के साथ ही मराठी क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला था। 10 जुलाई 1930 को ही यवतमाल के प्रमुख नेता बाबू जी अणे के नेतृत्व में स्वयं सेवकों के एक दल ने यवतमल के निकट पुसद में रक्षित वन से घास काटी और गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद इस आंदोलन का प्रांत के अन्य हिस्सों में शीघ्र विस्तार हो गया तलेगांव , वर्धा, आलवी, काटोल तथा कोढाली में भी इसी तरह आंदोलन हुआ इसमें सबसे प्रमुख आंदोलन तलेगांव के जंगल का था। यह वन क्षेत्र नागपुर के पास ही था अतः नागपुर के राष्ट्रभक्तों ने यहां से आंदोलन परम करने की रणनीति बनायी आंदोलनकारियों के पहले जत्थे का नेतृत्व टिकेकर ने किया उन्होंने 28 स्वयं सेवको के साथ 24 जुलाई को नागपुर से प्रस्थान किया और पैदल यात्रा करते हुए गोड़खोरी , बजारगांव,कोढाली आदि स्थानों में रुकते हुए तलेगांव पहुंचे वहां 01 अगस्त का सत्याग्रह करने प्रांत से तैयार हो गये उन्हें देखने के लिए अभूतपूर्व भीड़ एकत्र हो गई थी , 75000 लोग यहां एकत्र हुये थे। पुलिस और वन विभाग के अधिकारी भी पर्याप्त संख्या में पहुंच गये थे। स्वयं सेवकों के साथ 500 लोग गिरफ्तार किये गये।

शिवानी के मुकालुहार ने यह घोषणा की वह 9 अक्टूबर को तुरिया के आरक्षित वनों से घास काटकर बन विधान भंग करेंगे। उनके इस घोषणा के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिये खोजा पर वह नहीं मिले। पर वहां के आदिवासी और ग्रामवासियों ने समझा की उनके नेता मूकालूहार गिरफ्तार हो गये तो लगभग 500 लोगों की भीड़ पुलिस शिविर की तरफ बढ़ा इससे घबड़ा कर पुलिस ने गोली चला दी जिससे एक पुरुष और तीन स्त्रीयां मारी गयी तथा लगभग 30 व्यक्ति घायल हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्य कार्यक्रमों की तरह शासन द्वारा जंगल सत्याग्रह को भी अपनी पाशविक शक्ति दसे कुचलने का प्रयास किया। पूरे प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु राष्ट्र भक्तों की कमी नहीं थी आंदोलन का नेतृत्व एक के गिरफ्तार होने पर दूसरे के हाथ में जाता रहा और जनता पूरे जोर.शोर से इस आंदोलन में भाग लेती रही। ब्रिटिश शासन की गोलीबारी और गिरफ्तारी के बाद भी जनता का उत्साह बिल्कुल कम नहीं पड़ा। इस आंदोलन में आदिवासी एवं ग्रामीण जनता को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संदर्भ स्त्रोत

1. काईल नं. आर प्प् 1/3 कांग्रेस पेपर्स 1920-47 पेज 5 9.11
2. उपरोक्त
3. नेहरू वाग्मय खण्ड 4 पृ.317
4. सं प मिश्र द्वारिका प्रसाद- मध्य प्रान्त में स्वाधिनता संग्राम का इतिहास पृ -300
5. द हितवाद नागपुर 24 अप्रेल 1930
6. सं. मिश्र द्वारका प्रसाद वहीं पृ 31
7. ए रिव्यू आॅफ द एडमिनिस्ट्रेशन आॅफ सेंट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार 129-30
8. सं मिश्र द्वारका प्रसाद वही पृ 381
9. गुप्त घनश्याम सिंह- मेरे संस्मरण पृ-06
10. शुक्ल अभिनन्दन ग्रन्थ - इतिहास खण्ड पृ 11-152
11. सं. मिश्र द्वारका प्रसाद - उपरोक्त
12. उपरोक्त
13. दुर्ग जिला गजेटियर 1980 पृ 79-0
14. गुप्त घनश्याम सिंह- वही पृ. 47
15. नोट आन सिविल डिसओबिडिज्यन्ट मूवमेंट इन सी.पी. एण्ड बरार पृ. 58
16. कम्पाइलेशन आॅफइम्पाटेन्ट पोलिटिक्स ट्रायल्स इन सी. पी. एण्ड बरार फाईल नं. 1357 वर्ष 1935 पृ. 3
17. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक खण्ड -3ख् पृ -101
18. उपरोक्त
19. दुर्ग जिा गजेटियर प. 64
20. नोट आन दी सिविल डिसओविडियन्ट मूव्हमेन्ट इन सी.पी. एण्ड बरार पृ. 166
21. सं. बेहार आर. के. -शोध उपक्रम, डाॅ. श्रीमती रेणुका झा का आलेख पृ. 4
22. फाईल नं. आर 11ए 5/3, फ्रीडम मूव्हमेंट, तहसील धमतरी-पेज 2-3
23. शुक्ल अशोक- छत्तीसगढ़ का राजनैतीक इतिहहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पृ.- 161
24. उपरोक्त
24. उपरोक्त
25. सं. मिश्र पं. द्वारिका प्रसाद-वही. पृ.381
26. उपरोक्त पृ 32
27. उपरोक्त पृ. 382